न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—132/2020 (2020/00682) **दर्ज दिनांक 14.12.2020**
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. प्रथु आत्मज किशना गाडरी निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. हगामी पत्नि स्व0 किशना गाडरी निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. लादूलाल आत्मज बालूराम जाट निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. धन्ना आत्मज लच्छीराम बैरवा निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. रामा आत्मज दल्ला भील निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. किशोर आत्मज मांगू भील निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. हीरालाल आत्मज चतरभुज भील निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. शंकरलाल आत्मज चतरभुज भील निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. माधूलाल आत्मज चतरभुज भील निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. लादूलाल आत्मज उदयराम बैरवा निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. नानूराम आत्मज होकम बैरवा निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. सोहन आत्मज पेमा भील निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. कालू आत्मज देवा सुथार निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

उपस्थिति— **अधिवक्ता प्रार्थीगणः— श्री मदनलाल जीनगर**

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय **दिनांकः—26.02.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गुढ़ा का खेड़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 491/1 रकबा 0.02 हे0, 491/2 रकबा 1.35 हे0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.37 हे0 भूमि [illegible] खाता संख्या 96 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खाते[illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.04 11:25:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना

प्रकरण संख्या :—132 / 2020 (2020 / 00682)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गुढ़ा का खेड़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 491 / 1 रकबा 0.02 हे0, 491 / 2 रकबा 1.35 हे0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.37 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 96 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 550 / — (पांच सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 550 / — (पांच सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.04 11:25:17 IST
Reason: SelfAttested